10.11.23

वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रस्तुत हुयी।

वकील अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि असल रैस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 खसरा नम्बर 339 में गैर मुमकिन रास्ता होना अंकित किया है। असल रैस्पो0 के उक्त कथन से यह साबित है कि मौके पर आवागमन के लिये रास्ता मौजूद है तो कोई खातेदार अपनी सुविधा अनुसार नया रास्ता कायम नहीं करा सकता है। अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा नम्बर 335 में कोई रास्ता नहीं है। अपीलाण्ट भी गैर मुमकिन रास्ते के खसरा नम्बर 339 से ही अपनी खातेदारी की आराजी पर आवागमन करते हैं। अतः प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट को बिना सुने प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण तक प्रथम पेशी पर ही अंतिम निर्णय पारित कर दिया वही बाद में नोटिस जारी किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विरोधाभाषी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2021(2) पेज 1108, 2021(1) पेज 681, आरआरटी 2010(2) पेज 1001 का उद्धरण पेश करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। रैस्पो0, अपीलाण्ट के खातेदारी के खसरा नम्बर 335 में से 50 सालो से आवागमन कर रहे हैं। खसरा नम्बर 339 गैर मुमकिन रास्ते पर पूर्व से अतिक्रमण है। अतः वह रास्ते के काम में नहीं आ रहा है। फर्द मौका में भी ग्राम आबादी के लिये खसरा नम्बर 301, 300, 299, 335 में वर्षो पुराना प्रचलित रास्ता का उपयोग किया जाना बताया है। परन्तु वर्तमान में अपीलाण्ट उक्त रास्ते में अवरोध डाल रहे हैं। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम पेशी पर ही एक तरफा बहस सुनकर निर्णय होने तक स्थगन जारी किया गया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवके का प्रयोग नहीं किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। इसके अलावा दौराने बहस फार्म संख्या 03 के संलग्न फर्द मौका ग्राम बझेरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 339 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। परन्तु उस पर किसी अन्य व्यक्ति लाल सिंह पुत्र मोहन सिंह जो प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं है, द्वारा आंशिक अतिक्रमण किया हुआ है एवं खसरा नम्बर 301, 300, 299 के

राजस्व अपील प्राधिकारी

ग्राम का नाम :- बझेरा

अपील की इबारत

द्वारा आंशिक अतिक्रमण किया हुआ है एवं खसरा नम्बर 301, 300, 299 के सहखातेदारान द्वारा 10–12 फुट चौडाई में मिट्टी डालकर रास्ता बना रखा है। परन्तु खसरा नम्बर 335 के सहखातेदार उक्त रास्ते को सुचारू रखने के लिये सहमत नहीं है। फर्द मौका पर्चा में अंकित नक्शा अक्स से भी स्पष्ट है कि उक्त गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 339 ग्राम की आबादी से जुडा हुआ है। रैस्पो0 द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में गैर मुमकिन रास्ता होने के तथ्य को स्वीकार किया है। चूंकि प्रकरण में सभी पक्षकारो की तलवी हो चुकी है एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में प्रक्रियात्मक चूक है। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव किये जाने की आवश्यकता महसूस ना करते हुये, प्रकरण इसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण में रास्ते हेतु आत्यंतिक आवश्यकता अथवा वैकल्पिक रास्ते बाबत् विवेचना करते हुये, अधिकतम दो माह में निर्णय पारित करें। तब तक उभयपक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं एक दूसरे के आवागमन में व्यवधान ना करें।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2023 खारिज किये जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठ भूमि में पक्षकारो के न्यायालय में उपस्थित होने की दिनांक से अधिकतम दो माह में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण में अन्तिम निस्तारण पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.12.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

10/11/2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)